

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक

/2015 रेस्टोरेशन

देशीय 1355-II-15

दिनांक 3-6-15 का
श्री आर. एस. संगर
कादि द्वारा प्रस्तुत।

R. S. Sangar
आर. एस. संगर
3/6/15

क
3-6-15
50

सुगिया पुत्री श्री शिवमूरत प्रसाद पत्नी
सच्चिदानन्द तिवारी, निवासी - ग्राम, षौ०
बरहौला, तहसील त्यौथर, जिला रीवा (म०प्र०)
-- आवेदिका

बनाम

1. लालमणि पुत्र शंकरप्रसाद मृत द्वारा वारिसान
अ. मालती दुबे पत्नी लालमणि, निवासी ग्राम
धुरौध, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा
ब. आशा दुबे पत्नी विनोद कुमार दुबे, निवासी
धर्मकांटा के पास, महेन्द्र किराना स्टोर्स के
पीछे, उर्रहट, तहसील हुजूर, जिला रीवा
स. राकेश कुमार दुबे पुत्र श्रीलालमणि, व्याख्याता
शासकीय पी०के० कन्या स्कूल सिरमौर,
चौराहा रीवा म०प्र०
द. उमेश कुमार दुबे पुत्र लालमणि दुबे, अध्यापक,
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र.2,
घोरिया टंकी तहसील हुजूर, जिला रीवा
2. अनिल कुमार पुत्र श्री नन्द कुमार,
3. सन्तोष कुमार पुत्र श्री नन्द कुमार,
4. सुरेश कुमार पुत्र श्री नन्द कुमार,
निवासीगण ग्राम दुरौध, तहसील रामपुर
कर्चुलिमान, जिला रीवा म०प्र०

— अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1355-दो/2015

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्लकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-06-15	<p>शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदकपक्ष की ओर से श्री आर0एस0सेंगर, अधिवक्ता उपस्थित। तर्क सुने गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया अनुपस्थित का समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>